भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *160
दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में जल जीवन मिशन

***160. श्री गौरव गोगोईः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम में उपलब्ध कराए गए घरेलू नल कनेक्शनों के संबंध में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की वर्तमान स्थिति क्या है:
(ख) असम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत शत-प्रतिशत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्राप्त करने वाले गांवों की संख्या कितनी है।
(ग) असम के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. और
(घ) क्या सरकार ने असम के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (घ): उत्तर का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

असम में जल जीवन मिशन के संबंध में श्री गौरव गोगोई द्वारा दिनांक 01.08.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में क्रियान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 29.07.2024 तक, लगभग 11.78 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 29.07.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.02 करोड़ (77.76%) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है।

असम राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, केवल 1.11 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, 56.31 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 29.07.2024 तक, राज्य के 71.59 लाख ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 57.43 लाख (80.22%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

(ख) असम राज्य के 24,151 गांवों में से 7,319 गांवों में 100% कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन होने की सूचना है।

(ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत, असम सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों हेतु स्वच्छ नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए योजनाएं शुरू करते समय गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, सूचना देने, निगरानी और पर्यवेक्षण करने में सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 29.07.2024 तक, असम राज्य में 83 प्रयोगशालाओं सहित देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, जिला, उप-मंडल और/या ब्लॉक स्तर पर 2,163 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। पीने योग्य पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आम जनता के लिए नाममात्र दर पर अपने जल नमूनों का परीक्षण कराने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।

जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे आवधिक आधार पर अर्थात रासायनिक और भौतिक मापदंडों के लिए वर्ष में एक बार तथा जीवाणु संबंधी पैरामीटरों के लिए वर्ष में दो बार जल गुणवत्ता का परीक्षण करें और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां उपचारात्मक कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्तर पर एफटीके/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से 5 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें तथा डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दें। अब तक, असम में 1.13 लाख महिलाओं सहित देश में लगभग 24.60 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में 24.13 लाख से अधिक जल नमूनों और फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके 51.16 लाख जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।

इसके अलावा, असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित सभी बसावटों को या तो सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करके अल्पावधि समाधान उपायों के तहत कवर किया गया है अथवा सतही जल स्रोतों वाली पाइपगत जल आपूर्ति योजना के माध्यम से कवर किया गया है ताकि केवल पीने और खाना पकाने के उद्देश्य से 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल का प्रावधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, लौह संदूषित बसावटों को लौह शोधन संयंत्रों के साथ पाइपगत जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से कवर किया जा रहा है। इसके अलावा, 01.04.2020 तक, राज्य में 19,949

लौह संदूषित बसावटें थीं, जिनमें से 17,445 को एफएचटीसी के साथ कवर किया गया है और शेष 2,504 बसावटों को दिसंबर, 2024 तक कवर करने की योजना है।

असम ने गुणवत्ता सहित पेयजल के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्कूली छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए *जलदूत* नामक एक अभिनव कार्यक्रम भी शुरू किया है।

(घ) जेजेएम के अंतर्गत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए फ्लेक्सी निधि के संबंध में वित्त मंत्रालय के दिनांक 06.09.2016 के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य *बातों के साथ-साथ* असम सहित राज्यों द्वारा राज्यों के पास उपलब्ध निधि में से 25% तक की राशि बाढ़ के साथ-साथ अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में समाधान/पुनरूद्धार कार्यकलाप करने के लिए अलग से निर्धारित की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं को उच्च बाढ़ स्तर के 1 मीटर ऊपर स्थापित करने की पहल की गई थी ताकि बाढ़ के दौरान भी पानी उपलब्ध कराया जा सके।
